उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण इकाई

दूरभाष कार्यालय –222218158
मो0नं0 –09415114076
प्रथम् तल, शक्ति भवन विस्तार
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्रांक /अनु0ई0/श0भ0वि0/ दिनांक

विज्ञापन व्यवस्थापक
द टाइम्स ऑफ इण्डिया दिल्ली ।
इक्नौमिक्स टाइम्स/फाइनेनसियल एक्सप्रेस दिल्ली।
महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र में दिनांक 15.10.2017 या इसके पूर्व के अंक में "कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रो के लिए 8–10 पइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 6–8 प्वाइन्ट में) समाचार पत्र के केवल "एक कालम में"प्रकाशित करने की व्यवस्था करें । हेडिंग व नीचे का पद नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाइन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचनायें जैसे बिजली बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचना,बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्त की रसीदी टिकट सहित, प्रकाशन विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन लखनऊ को/अधोहस्ताक्षरकर्ता को (जहां भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश पर प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा ।
3. संलग्न हिन्दी/अग्रेंजी भाषा पर विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अग्रेंजी भाषा के समाचार पत्र अग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरांत ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाय जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा ।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाय अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन भुगतान नही किया जायगा
5. यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ,उ0प्र0 तथा विज्ञापन वा दृश्य प्रचार निदेशालय,भारत सरकार द्वारा विज्ञापन की दरे स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें
6. विज्ञापन के अंत में सबसे नीचे टाइप में "राष्ट्रहित में बिजली बचायें" का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें ।
7. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापन के बीजक में पावर कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है ।

संलग्नक : 1. विज्ञापन आदेश ।
2. विज्ञापन सामग्री ।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक 1630 /अनु0ई0/श0भ0वि0/ दिनांक 13-10-2017

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य अभियन्ता (जानपद) पारेषण–द्वि0, नवम् तल,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) मुख्यालय, नवांतल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
3. जन सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन शक्ति भवन, लखनऊ।
4– अधिशासी अभियन्ता, सी0एम0यू0डी0, कक्ष सं0– 401, शक्ति भवन मुख्यालय, लखनऊ।
5– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0– 407, शक्ति भवन मुख्यालय, लखनऊ।
6– टेण्डर फाइल/नोटिस बोर्ड ।

अधिशासी अभियन्ता

U.P. POWER CORPORATION LIMTED

Corrigendum

TENDER SPECIFICATION NO. 10 / MU / SBE / 2017–18

In reference to E- Tender Specification No. 10/MU/SBE/2017-18 the similarly bid opening date of Part-I should be read as 01.11.2017 in place of 03.11.2017. and Part-II of eligible bidders opening date should be read as 06.11.2017 in place of 01.11.2017.

"Save Energy"

Helpline No- 0522 2288738

ExecutiveEngineer (MU)
Ground Floor, Shakti Bhawan
14-Ashok Marg, Lucknow